केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

प्रलिमि्स के लयि:

दलि्ली वशिष पुलसि प्रतषि्ठान (DSPE) अधनियिम, भ्रष्टाचार नविारण अधनियिम, भ्रष्टाचार नविारण पर संथानम समति

मेन्स के लयि:

CBI और सफिारशिों से संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

कार्मकि, लोक शकियत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय समति ने कई **राज्यों द्वारा CBI जाँच हेतु सामान्य सहमत वापस** लयि जाने के मद्देनज़र कहा है कि CBI **को नयिंत्रति करने वाले मौजूदा कानून की 'कई सीमाएँ' हैं** और इसकी **स्थति, कार्यों एवं शक्तयिों को परभिाषति करने के लयि इसे एक नए कानून के साथ बदलने की आवश्यकता है।**

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI):

- **परचिय:**
  - **CBI** की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और यह दलि्ली वशिष पुलसि प्रतषि्ठान **(Delhi Special Police Establishment-DSPE) अधनियिम** द्वारा शासति है।
    - इसकी स्थापना **भ्रष्टाचार नविारण पर संथानम समति (1962-1964)** के सुझावों पर की गई थी।
  - **वर्तमान में CBI भारत सरकार के कार्मकि वभिाग, कार्मकि, पेंशन और लोक शकियत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।**
- **कार्य:**
  - भारतीय अधकिारयिों, **सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों, नगिमों और भारत सरकार के स्वामतित्व या नयिंत्रण वाले नकिायों के खलिाफ** भ्रष्टाचार नविारण अधनियिम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारयिों के भ्रष्टाचार, रश्वितखोरी तथा दुर्व्यवहार के मामलों की जाँच करना।
  - **राजकोषीय और आर्थकि कानूनों के उल्लंघन से संबंधति मामलों की जाँच करना, अर्थात् नर्यिात एवं आयात नयिंत्रण,** सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर वदिेशी मुद्रा नयिमों से संबंधति कानूनों का उल्लंघन।
    - उदाहरण: **नकली भारतीय करेंसी नोट**, बैंक धोखाधड़ी, **आयात-नर्यिात और वदिेशी मुद्रा** उल्लंघन आदि।
- **मुद्दे:**
  - **CBI बनाम राज्य पुलसि:**
    - कसिी वशिष राज्य में **CBI जाँच राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन** है।
    - एक राज्य में **सत्तारूढ़ दल** कभी-कभी वास्तवकि रूप से और कई बार कमज़ोर आधार पर**CBI को मामलों की जाँच करने की अनुमत देने से इनकार कर देता है,** जसिसे जाँच की सीमा सीमति हो जाती है।
  - **ओवरलैपगि/दोहराव:**
    - राज्य पुलसि बलों के साथ **वशिष पुलसि प्रतषि्ठान (CBI का एक प्रभाग) को उन अपराधों के लयि जाँच और अभयिोजन की समवर्ती शक्तयिाँ प्राप्त हैं** जो कभी-कभी मामलों के **दोहराव एवं ओवरलैपगि का कारण बनते हैं।**
- **राजनीतकि हस्तक्षेप:**

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CBI के कामकाज़ में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की है तथा इसे **"अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाला पिंजरे में बंद तोता"** कहा है।

संसदीय समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें:

- **निष्कर्ष:**
  - **सामान्य सहमति की वापसी:**
    - 9 राज्यों ने CBI द्वारा किसी भी जाँच के लिये आवश्यक सामान्य सहमति को वापस ले लिया है, जिससे CBI को नियंत्रित करने वाला मौजूदा कानून अप्रभावी हो गया है।
  - **रिक्त पद:**
    - **CBI में रिक्तियों को आवश्यक गति से नहीं भरा जा रहा है,** जिससे जाँच की गुणवत्ता में बाधा आ रही है जिससे अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता प्रभावित हो रही है।
    - CBI में स्वीकृत 7,295 पदों के मुकाबले कुल 1,709 पद खाली हैं।
      - उच्च पदों, कानूनी अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के संवर्गों में ये **रिक्तियाँ निर्विवाद रूप से मामलों की लंबितता को बढ़ाएगी, जाँच की गुणवत्ता को बाधित करेगी** जो अंततः एजेंसी की **प्रभावशीलता एवं दक्षता** को प्रभावित करेगी।
- **अनुशंसा:**
  - **CBI की स्थिति को पुनः परिभाषित करना:**
    - समिति **CBI की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने** तथा इसके कामकाज़ में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा उपाय निर्धारित करने हेतु एक नया कानून बनाने की सिफारिश करती है।
  - **रिक्तियों को तिमाही आधार पर भरना:**
    - समिति **CBI निदेशक से सिफारिश करती है कि वह तिमाही आधार पर रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की समीक्षा करें** और यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय करें कि संगठन में पर्याप्त स्टाफ है।
  - **प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता को कम करना:**
    - CBI को **प्रतिनियुक्ति पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिये** एवं पुलिस निरीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने का प्रयास करना चाहिये।
  - **वाद प्रबंधन प्रणाली:** CBI को एक वाद प्रबंधन प्रणाली (Case Management System) निर्मित करनी चाहिये जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिसमें इसके पास दर्ज शिकायतों एवं उनके निपटारे में हुई प्रगति का विवरण होगा।
    - पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये **मामलों के आँकड़े तथा वार्षिक रिपोर्ट** भी अपनी **वेबसाइट पर प्रकाशित** करनी चाहिये।
    - CBI के पास दर्ज मामलों का विवरण, उनकी जाँच में हुई प्रगति और अंतिम परिणाम **सार्वजनिक डोमेन** में उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. एक राज्य-विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने और जाँच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र पर कई राज्यों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालाँकि सी.बी.आई. जाँच के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहमति रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिये। **(2021)**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/central-bureau-of-investigation-1